न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– रेखा गुर्जर, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर 157 / 2025 राजस्व वाद

01. श्री अमरसिंह पिता रूपसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी–गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. श्री मदनसिंह पिता रूपसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी–गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. बाबुसिंह के बजाए श्री टीलसिंह पिता बाबुसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी–गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. श्री मीरादेवी पत्नी रूपसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी–गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

––– वादी

बनाम

01. श्री विजयसिंह पिता मुलसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी–गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

02. श्री फतेहसिंह पिता सोगसिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी–गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

03. श्री मदनसिंह पिता धन्नासिंह जाति रावत आयु वयस्क निवासी–गोमा का बाडिया तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

04. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, करेड़ा जिला भीलवाडा (राज0)

–– प्रतिवादीगणगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा– 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत कब्जा दिलाये जाने हेतु.

पस्थित :–

श्री कन्हैया लाल सेन ––अधिवक्ता प्रार्थी / वादी

एकपक्षीय ––प्रतिवादी संख्या 01 से 03

पेरोकार सरकार –अधिवक्ता–प्रतिवादी संख्या 04

दिनांक– 13 / 04 / 2026

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने प्रतिवादीगणगण के विरूद्व धारा 183 आर.टि.
क्ट के तहत इस आशय का पेश किया कि सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा
अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0) मे जिसके खाता संख्या 102 आराजी
म्बर 373 रकबा 0.6070 हैक्टयर भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड मे वादी के नाम पर खातेदारी हक
धिकार से दर्ज चली आ रही है। वादी वादपत्र की चरण संख्या 01 मे वर्णित आराजीयात पर काबिज होकर
सका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है तथा वादीगण ने उक्त आराजी की पत्थरगढी कराने हेतु एक
र्थनापत्र न्यायालय श्रीमान् उपखण्ड़ अधिकारी महोदय, करेड़ा जिला भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया जिसके
करण संख्या 26 / 2025 जिसकी पालना रिपोर्ट राजस्व कर्मचारियो द्वारा दिनांक 06.06.2025 को प्रतिवादी
ंख्या 01 लगायत 03 का कहा कि उक्त आराजी वादीगण के नाम पर दर्ज है तथा जिसका कब्जा हटा लेवे
तिवादी संख्या 01 लगायत 05 को कई बार वादपत्र की चरण संख्या 01 एक मे वर्णित आराजीयात पर किये
ाये कब्जे को छोडने हेतु कहा लेकिन प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 ने कोई ध्यान नही दिया उक्त भूमि
का कब्जा वादी को सिपुर्द करने हेतु कहा तो प्रतिवादी संख्या ... लगायत 05 के साथ लडाई झगडा करने पर
आमादा हो गया इस कारण से वादी को यह वादपत्र ... पेश करने की आवश्यकता पेश आयी है। वादी के पक्ष मे एवं
प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 05 के विरूद्व ... डिक्री सादिर फरमायी जाना
आवश्यक है कि सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ...ढ तहसील करेडा
जिला भीलवाडा (राज0) मे जिसके खाता संख्या 102 आराजी नम्बर 373 रकबा 0.6070 हैक्टयर भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rekha Gurjar
Date: 2026.05.08 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलेक्टर करेड़ा

तिवादी संख्या 01 लगायत 03 द्वारा किये गये कब्जे को हटाकर पुनः वादी को सिपुर्द कराया जाना न्यायोचित व आवश्यक है।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगणगण को जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस जारी किया गया , लेकिन बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने से एकपक्षीय कार्यवाही की गयी। वादी द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र पेश किया गया व जमाबंदी की नकल व मौका पर्चा रिपोर्ट प्रदर्शित करवाये गये।

वादी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। प्रकरण मे उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व अधिवक्ता वादी द्वारा अपने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए वादपत्र को डिक्री करने का निवेदन किया गया।

मैने पक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया , पटवार हल्का एवं भू अभिलेख निरीक्षक की पत्थरगढ़ी आदेश पर तैयार किये गये पर्चा मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया, मौका रिपोर्ट मे भी वादी की खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का अवैध कब्जा पाया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र स्वीकार योग्य ठहरता है। अत एव

:: आदेश ::

वादी का वादपत्र स्वीकार कर पत्थरगढ़ी पर्चा मोका रिपोर्ट अनुसार प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 सरहद गोमा का बाडिया पटवार हल्का थाणा भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र ज्ञानगढ तहसील करेडा जिला भीलवाडा (राज0) मे जिसके खाता संख्या 102 आराजी नम्बर 373 रकबा 0.6070 हैक्टयर भूमि पर प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 03 का द्वारा किये गये कब्जे को हटाया जाकर वादी को सिपुर्द कराया जावे। इस निर्णय की पालना मे तहसीलदार, करेड़ा को तहरीर जारी कर पालना सुनिश्चित कराई जावें व तदनुसार डिक्री जारी हो।खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करे।

यह निर्णय आज दिनांक 13.04.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रेखा गुर्जर)
आर.ए.एस.

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,
करेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rekha Gurjar
Date: 2026.05.08 11:36:43 IST
Reason: SelfAttested